		preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3**: The maximum age - limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi -Chairman 2. Deputy Director, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi -Member 3. Deputy Director (Medical Hospital), Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

[F. No. A.11018/02/2018-MH II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 136.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019 के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019 की अनुसूची के स्तंभ (11), में प्रविष्टि में "चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्" शब्दों के पश्चात "सफदरजंग अस्पताल के" शब्दों को अन्तः स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. ए.12018/02/2016-एमएच-II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत का राजपत्र, साप्ताहिक, भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i), तारीख जुलाई 28 - अगस्त 03, 2019 में सा.का.नि. सं. 231, तारीख 23 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

New Delhi, the 5th October, 2021

G.S.R. 136.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Technical Officer (Medical Laboratory Technology), Safdarjung Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2019, namely:-

1. (1) These rules may be called the Technical Officer (Medical Laboratory Technology), Safdarjung Hospital, New Delhi, Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Technical Officer (Medical Laboratory Technology), Safdarjung Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2019, in the Schedule, under column number, (11), in the entry, after the words "Medical Laboratory Technologist", the words "of Safdarjung Hospital" shall be inserted.

[F. No. A.12018/02/2016-MH-II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

Note : The principal Notification was published in the Gazette of India , Weekly , Part II , Section 3 , Sub –section- (i), dated the July 28 –August 3 , 2019, vide G.S.R. No. 231 , dated the 23rd July , 2019.

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 137.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019 के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019 की अनुसूची के स्तंभ (13) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा किसी अधिकारी की नियुक्ति पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।"

[फा. सं. ए.12018/02/2016-एमएच-II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को भारत का राजपत्र, साप्ताहिक, भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i), तारीख जुलाई 28 - अगस्त 03, 2019 में सा.का.नि. सं. 233, तारीख 23 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

New Delhi, the 5th October, 2021

G.S.R. 137.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Senior Technical Officer (Medical Laboratory Technology), Safdarjung Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2019, namely:-

1. (1) These rules may be called the Senior Technical Officer (Medical Laboratory Technology) Safdarjang Hospital, New Delhi, Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Senior Technical Officer (Medical Laboratory Technology), Safdarjang Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2019, in the Schedule, under column number (13), for the entries , the following entries shall be substituted, namely:-

"Consultation with UPSC necessary while appointing an officer on deputation (ISTC)".

[F. No. A.12018/02/2016-MH-II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

Note : The principal Notification was published in the Gazette of India , Weekly , Part II , Section 3 , Sub –section-(i), dated the July 28 –August 3 , 2019, vide G.S.R. No. 233 , dated the 23rd July , 2019.

संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 2 नवंबर, 2021

सा.का.नि. 138.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I एवं श्रेणी II पद) भर्ती नियम, 1967, जहां तक उनका संबंध संयुक्त निदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय, संयुक्त निदेशक, समूह-क' पद, भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :-

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें, लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, जुलाई 28—अगस्त 3, 2019, शनिवार/श्रावण 6—श्रावण 12, 1941
No. 31] NEW DELHI, JULY 28—AUGUST 3, 2019, SATURDAY/SRAVANA 6— SRAVANA 12, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 231.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी), सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी), सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर तथा कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी)	9* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-6 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रयोगशाला में दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो । **टिप्पण 1:** जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल होंगे:** अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष प्रयोगशाला विभाग के अध्यक्ष, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य सफ़दरजंग अस्पताल के प्रभारी, उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए. 12018/02/2016-एमएच-II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 23rd July, 2019

G.S.R. 231.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer (Medical Laboratory Technology), Safdarjung Hospital , New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. –(1) These rules may be called the Technical Officer (Medical Laboratory Technology), Safdarjung Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and in consultation with the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Technical Officer (Medical Laboratory Technology)	9* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Medical Laboratory Technologist with five years regular service in the Level-6 in the pay matrix and has successfully completed mandatory training of two weeks in Laboratory as prescribed by the Department. **Note 1:** Where juniors who have	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** Additional Medical Superintendent Safdarjung Hospital, New Delhi- Chairman; Head of Laboratories department, Safdarjung Hospital - Member; Deputy Director Administration, in	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	charge of Safdarjung Hospital - Member; Deputy Director Administration, in charge of Medical Hospital Division, Directorate General of Health Services - Member.	

[F. No. A.12018/02/2016-MH-II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 232.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफ़दरजंग अस्पताल (श्रेणी-III पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला तकनीशियन (रक्त बैंक), वरिष्ठ रक्त बैंक तकनीशियन, क्यूरेटर, तकनीकी सहायक (जैव नियंत्रण) के पदों से है और सफ़दरजंग अस्पताल, समूह 'ग' भर्ती नियम 1986 को, जहां तक उसका संबंध तकनीकी सहायक के पद से है तथा सफ़दरजंग अस्पताल (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1977 को, जहां तक उसका संबंध वरिष्ठ तकनीशियन या वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन (फ्लूरोसेंस-माइक्रोस्कोपी) के पदों से है, सिवाए उन बातों के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

2. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(ग) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(घ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर तथा कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्	125* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रु.)	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **नोट 1:** आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी (न कि वह नियत तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी सरकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक की डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् या प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के रूप में दो वर्षों का अनुभव	आयु- नहीं अर्हताएं- नहीं	सीधी भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

टिप्पण-1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
90% सीधी भर्ती द्वारा और 10% प्रोन्नति द्वारा।	**प्रोन्नति:** सफ़दरजंग अस्पताल के कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर -5 की श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रयोगशाला में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण:** जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल होंगे: अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष प्रयोगशाला विभाग के अध्यक्ष, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य **विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में शामिल होंगे:** अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

प्रयोगशाला विभाग के अध्यक्ष, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य उप निदेशक, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य	

[फा. सं. ए. 12018/02/2016-एमएच-II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd July, 2019

G.S.R. 232.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjung Hospital (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the posts of Laboratory Technician, Laboratory Technician (Blood Bank), Senior Blood Bank Technician, Curator, Technical Assistant (Biological Control), and in supersession of the Safdarjang Hospital, Group 'C' Recruitment Rules 1986, in so far as they relate to the post of Technical Assistant and in supersession of Safdarjung Hospital (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1977, so far as they relate to the post of Senior Technician or Senior Laboratory Technician (Fluorescence-Microscopy), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Laboratory Technologist, Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Medical Laboratory Technologist, Safdarjung Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and in consultation with the Union Public Service Commission and reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medical Laboratory Technologist	125* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted, Non Ministerial	Level-6 in the Pay matrix (Rs. 35400-112400)	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants) up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).	Bachelors degree in Medical Laboratory Science from a Government recognised university or Institute and two years' experience as Medical Laboratory Technologist or Laboratory Technologist from any recognised Hospital or Institute. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Age - No Qualification-No	Two years for direct recruitment and promotes	90% by direct recruitment and 10 % by Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Medical Laboratory Technologist of Safdarjung Hospital with six years regular service in the grade in Level-5 in the pay matrix and has successfully completed training of two weeks in Laboratory as prescribed by the Department. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi -Chairman; Head of the Laboratory Department, Safdarjung Hospital, New Delhi- -Member; Deputy Director Administration, in charge of Medical Hospital Section of Directorate General of Health Services -Member; Deputy Director of Safdarjung Hospital, New Delhi -Member;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-** Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi -Chairman; Head of the Laboratory Department, Safdarjung Hospital, New Delhi -Member; Deputy Director Administration, in charge of Medical Hospital Section of Directorate General of Health Services - Member; Deputy Director of Safdarjung Hospital, New Delhi -Member.	

[F. No. A.12018/02/2016-MH II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 233.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी), सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी), सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर तथा कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी)	05* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सफ़दरजंग अस्पताल के तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-7 की श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रयोगशाला में दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो । **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष प्रयोगशाला विभाग के अध्यक्ष, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य सफ़दरजंग अस्पताल के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी: क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-7 पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों: आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वद्यिालय या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक की डिग्री; अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान से बतौर चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् या प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के रूप में तीन वर्षों का अनुभव । **टिप्पण-1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण-2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण-3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा. सं. ए. 12018/02/2016-एमएच-II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd July, 2019

G.S.R. 233.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technical Officer (Medical Laboratory Technology), Safdarjung Hospital , New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Senior Technical Officer (Medical Laboratory Technology), Safdarjung Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(c) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and in consultation with the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Technical Officer (Medical Laboratory Technology).	05* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Age-limit for direct recruits
(6)	(7)	(6)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion :Technical Officer (Medical Laboratory Technology) of Safdarjung Hospital with two years regular service in the grade in Level-7 in the pay matrix and has successfully completed training of two weeks in Laboratory as prescribed by the Department. Deputation (including short term contract): Offices of the Central Government or State Government or Union territory or autonomous or Statutory organisation or public sector Undertaking or University or Recognised research Institution. (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) officials in Level-7 in the pay matrix with two years regular service in the parent cadre or Department, and (b) possessing the following education qualification and experience **Essential:** Bachelors Degree in Medical Laboratory Science from a recognised University or Institute; Experience: Three years' experience as Medical Laboratory Technologist or Laboratory Technologist from any recognised Hospital or Institution. **Note 1**: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the 6th CPC has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** Additional Medical Superintendent Safdarjung Hospital, New Delhi -Chairman; Head of Laboratories department, Safdarjung Hospital -Member; Deputy Director Administration, in charge of Safdarjung Hospital -Member; Deputy Director Administration, in charge of Medical Hospital Division, Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

based on the recommendations of said Pay Commission. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. A.12018/02/2016-MH II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 234.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी), सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्य तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी), सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचीं के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूचीं के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर तथा कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी)	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष संयुक्त सचिव, अस्पताल अनुभाग के प्रभारी, स्वास्थ्य मंत्रालय - सदस्य उपमहानिदेशक सामान्य (पी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफ़दरजंग अस्पताल - सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** संयुक्त सचिव, अस्पताल अनुभाग के प्रभारी, स्वास्थ्य मंत्रालय - अध्यक्ष उपमहानिदेशक सामान्य (पी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफ़दरजंग अस्पताल - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए. 12018/02/2016-एमएच-II]

जी पी सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd July, 2019

G.S.R. 234.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Chief Technical Officer (Medical Laboratory Technology), Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. (1) These rules may called the Chief Technical Officer (Medical Laboratory Technology), Safdarjung Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc. – The method of recruitment age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chief Technical Officer (Medical Laboratory Technology)	01* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted Non Ministerial.	Level -10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion : Senior Technical Officer (Medical Laboratory Technology) with two years regular service in level-8 in the Pay Matrix. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; Joint Secretary, in-charge of Hospital Section, Ministry of Health -Member; Deputy Director General(P), Directorate General of Health Services - Member; Additional Medical Superintendent, Safdrjung Hospital -Member; **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** Joint Secretary, in-charge of Hospital Section, Ministry of Health -Chairman; Deputy Director General(P), Directorate General of Health Services -Member; Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Member.	Necessary.

[F. No. A.12018/02/2016-MH-II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

(प्रवर्तन खंड)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 235.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (प्रवर्तन खंड) समूह 'क' और समूह 'ख' गैर-तकनीकी पद, भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--